

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 फरवरी 2021 — फाल्गुन 3, शक 1942

गृह विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 10 फरवरी 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-28/दो-गृह/न.से./2019.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी(पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम, अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

स.क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्यदिवस)	सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1.	राज्य स्तरीय अग्निशमन आपातकालीन सेवा एवं राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छ.ग. रायपुर	01. अग्निअंकेक्षण प्रतिवेदन (राज्य स्तरीय) 02. अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र (रायपुर जिला)	30 कार्य दिवस	वरिष्ठ / कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी	निदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ	महानिरीक्षक/ उप महानिरीक्षक अग्निशमन एवं आपात कालीनसेवाएँ तथा एसडीआरएफ
2.	जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए जिला (बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर, जांजगीर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, कबीरधाम, बलौदाबाजार, सुरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, मुंगेली,	30 कार्य दिवस	वरिष्ठ / कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी	जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी	निदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा एसडीआरएफ

		बलरामपुर, जशपुर, महासमुंद, दंतेवाड़ा बीजापुर, कांकेर, कोण्डागांव, धमतरी, नारायणपुर, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, गौरेला पेण्ड्रा मरवाही)				
--	--	--	--	--	--	--

टीप :-छत्तीसगढ़ राज्य में अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ वर्तमान में 28 जिलों में कार्यरत।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 10th February 2021

NOTIFICATION

S.No. F 13-28/Two-Home/H.G/2019.— In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Public Service Guarantee Act 2011 (Serial No. 23, 2011) the State Government is hereby notifying the services provided by the department, the time limit fixed for rendering the service, the designation of the officers providing the service (post), competent officer and appellate authority in the schedule mentioned below, namely-

SCHEDULE

S.No	Name of office/ body/agency	Services to be provided (for purposes of Chhattisgarh Public Service Guarantee Act 2011)	Service delivery deadline (working days)	Designated Officer/s (Post) for providing the service	Competent Officer	Appellate Officer/s
1	2	3	4	5	6	7
01	State Level Fire Emergency Services and State Disaster Response Force Headquarters, Chhattisgarh, Raipur	1. Fire Audit Report (State Level) 2. Fire Safety Certificate (Raipur District)	30 Working Days	Senior/Junior Technical Fire Officer	Director, Fire Emergency Services and SDRF	Inspector General/ Deputy Inspector General, Fire Emergency Services and SDRF Raipur
02	District Commandant and Fire Officer	Fire Safety Certificate for Districts (Bilaspur, Durg, Ambikapur, Jagdalpur, Janjgir, Korba, Raigarh, Rajnangoan, Kabirdham, Balodabajar, Surjpur, Bemetra, Koriya, Mungeli, Balrampur, Jashpur, Mahasmund, Dantewada, Bijapur, Kanker, Kondagoan, Dhamtari, Narayanpur, Gariyaband, Balod, Sukma, Gaurel Pendra Marwahi).	30 Working Days	Senior/Junior Technical Fire Officer	District Commandant and Fire Officer	Director, Fire Emergency Services and SDRF

Note :- Fire and Emergency Services are presently operational in 28 districts of Chhattisgarh State.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.